56

समक्ष मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्र. क्र.   / /2016 निगरानी   निग – 1798 – II – 16

दिनांक 6-6-16 को श्री राजेन्द्र जैन, अभि० द्वारा प्रस्तुत। 6-6-16

(Rajendra Jain) Adv

(Rajendra Jain) Adv

एस.आर.बी.एच इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स सतना द्वारा पार्टनर राजेश मोगिया पुत्र श्री मालाराम मोगिया आयु–54 व्यवसाय व्यापार निवासी कृष्ण नगर सतना म0 प्र0

.....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

नगर पालिक निगम सतना द्वारा आयुक्त नगर पालिक निगम सतना म0 प्र0

......रेस्पोंडेट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश प्र0 क्र0 1310ए–74/14–15 दिनांकी 07/06/2015 एवं 15/06/2015 तहसीलदार तहसील रघुराज नगर जिला सतना म0 प्र0

श्रीमान महोदय,

प्रार्थी फर्म की ओर से निगरानी निम्न अनुसार प्रस्तुत है–

प्रकरण के तथ्य–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1798–दो/2016 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
02–5–2017	उभय पक्ष अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील रघुराजनगर जिला सतना के प्रकरण कमांक 1310/अ–74/14–15 में पारित आदेश दिनांक 07–6–2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ उभय पक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में निगरानी मेमो एवं प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। तहसीलदार के प्रश्नाधीन अंतरिम आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयुक्त नगर निगम को अतिकमण हटाने हेतु सूची सहित पत्र जारी करने के आदेश दिये हैं। आवेदक द्वारा इस न्यायालय में जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं वह तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। चूंकि तहसीलदार ने अभी नगर निगम को अतिकमण हटाने के लिए पत्र जारी करने के आदेश दिये हैं आवेदक चाहे तो तहसीलदार के न्यायालय में उपस्थित होकर अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर पक्ष समर्थन कर सकता है और उक्त अंतरिम आदेश पर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु उसके द्वारा ऐसा न करते हुये इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रीमेच्योर	

होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। आवेदक चाहें तो अपना तर्क/पक्ष तहसीलदार के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य